ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO. 129-131
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-6, Issues-7 YEAR- 2016 (Extra)

स्वतंत्रता के पश्चात् स्त्रियों की स्थिति

कुमारी भारती
शोध अध्येत्री– समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार), भारत

सारांश : *भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् स्त्रियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। यद्यपि 19वीं शताब्दी से ही स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयत्न होते रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद अनेक ऐसे परिवर्तन सामने आये जिनके कारण स्त्रियों को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया। इन परिस्थितियों में डॉ0 श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण, लौकिकीरण और जातीय गतिशीलता के बढ़ते हुए प्रभाव को प्रमुख स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार होने व औद्योगीकरण के फलस्वरूप उन्हें भी आर्थिक जीवन में प्रवेश करने के अवसर प्राप्त हुये। इससे स्त्रियों की पुरूषों पर आर्थिक निर्भरता कम होने लगी और उन्हें स्वतंत्रत रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर मिले। संचार के साधनों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का विकास होने से स्त्रियों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, आरंभ किया। संयुक्त परिवारों का विघटन होने से स्त्रियों के पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुई और सामाजिक अधिनियमों के प्रभाव से एक ऐसे सामाजिक वातावरण का निर्माण हुआ, जिसमें बाल–विवाह, दहेज–प्रथा और अन्तर्जातीय विवाह की समस्याओं से छुटकारा पाना सरल हो गया। इस समस्त कारकों के फलस्वरूप स्त्रियों की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है, उसे निम्नांकित क्षेत्रों में स्पष्ट किया जा सकता है–*

1. शिक्षा में प्रगति– शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियाँ इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं कि 20 वर्ष पूर्व इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। स्वतंत्रता से पूर्व तक लड़कियों के लिए न तो शिक्षा सम्बन्धित समुचित सुविधाएँ प्राप्त थीं और न ही माता–पिता शिक्षा को आवश्यक समझते थे। इसके फलस्वरूप स्त्रियाँ रूढ़ियों में ही जीवन व्यतीत कर रही थीं। सन् 1883 में जहाँ पहली एक स्त्री ने बी0ए0 पास किया, वहीं अब भारत में अधिकांश लड़कियाँ विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ रही हैं। आज लड़कियों के कला और विज्ञान के अतिरिक्त गृहविज्ञान, हस्तकला, शिल्पकला और संगीत की शिक्षा प्राप्त करने की भी व्यापक सुविधाएँ प्राप्त हैं। मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों की संख्या निरन्तर वृद्धि हो रही है। शिक्षा के प्रसारकरण से स्त्रियों को बाल–विवाह और पर्दाफाश से तो छुटकारा मिला ही है, उच्च स्तर की परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके स्त्रियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि उनका मानसिक स्तर पुरूषों से किसी प्रकार भी नीचा नहीं हैं। शिक्षा की इस प्रगति को देखते हुए श्री पणिक्कर ने यह निष्कर्ष दिया है।

श्री पणिक्कर के अनुसार – "स्त्री शिक्षा ने विद्रोह की उस कुल्हाड़ी की धार तेज कर दी है, जिससे हिन्दू सामाजिक जीवन की जंगली झाड़ियों को साफ करना सम्भव हो गया है। वास्तव में शिक्षा व्यक्ति को विवेकशील बनाने और नए विचारों को जन्म देने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। स्त्रियों में शिक्षा का विकास होने से वे रूढ़िगत और अपरिवर्तनीय आदर्शों को किस प्रकार स्वीकार कर सकती थीं' ?"[2]

2. आर्थिक जीवन की बढ़ती हुई स्वतंत्रता– स्वतंत्रता के पश्चात् औद्योगीकरण और नवीन विचारधारा के कारणस्त्रिों की पुरूषों पर आर्थिक निर्भरता लगातार कम होती ही जा रही है। स्वतंत्रता के पहले यद्यपि निम्न वर्ग की स्त्रियाँ अनेक उद्योगों और घरेलू कार्यों के द्वारा कोई जीविका उपार्जित करती थीं, लेकिन मध्यम और उच्च वर्ग की स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त करके अनेक क्षेत्रों की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। आज शिक्षा, चिकित्सा, समाज कल्याण, मनोरंजन उद्योगों और कार्यालयों में स्त्री कर्मचारियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। यद्यपि व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों और औद्योगिक केन्द्रों में भी सभी स्त्री कर्मचारियों की मांग निरंतर बढ़ती रही और बढ़ रही है। लेकिन भारतीय स्त्री को मनोवृत्ति में अभी आमूल परिवर्तन न हो सकने के कारण वे शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र को ही प्राथमिकता देती हैं। जीविका उर्पाजित करने वाली स्त्रियाँ आज अन्य स्त्रियों के लिए एक आकर्षक हैं और आर्थिक स्वतंत्रता के कारण परिवार में उनके महत्व को देखकर अन्य स्त्रियों को भी आर्थिक जीवन में प्रवेश करने का प्रोत्साहन मिला है। वास्तविकता को यह है कि स्त्रियों को आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाने के कारण उनके आत्म विश्वास, कार्यक्षमता और मानसिक स्तर में इतनी वृद्धि हुई है कि उनके व्यक्त्वि की तुलना उस स्त्री से किसी प्रकार नहीं की जा सकती, जो आज से कुछ वर्ष पहले तक संसार की सम्पूर्ण लज्जा को अपने घुँटने में समेट हुए और पुरूष के शोषण को सहन करती हुई। अपना जीवन घुटन में व्यतीत कर रही थीं।

3. पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि– परिवार में स्त्रियों में आज महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आज की स्त्री पुरूष की दासी नहीं, बल्कि उसकी सहयोगी और मित्र है। परिवार में उसकी स्थिति एक याचिका की न होकर बल्कि प्रबन्धिका

ASVS Society Reg. No. 561/2013-14

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-6, Issues-7 YEAR- 2016 (Extra)

की है, और अब वह अपने समस्त अधिकारों से वंचित एक निरीह अबला न होकर अपनी स्थिति के प्रति पूर्णतया जागरूकता सबला है। आज की एक शिक्षित स्त्री संयुक्त परिवार में अपने समस्त अधिवरों का बलिदान करके शोषित रहने को तैयार नहीं है, बल्कि वह मूल परिवार की स्थापना करके अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग करने के लिए प्रयत्नशील है। बच्चों की शिक्षा, पारिवारिक आय का उपयोग, संस्कारों का प्रबन्ध और पारिवारिक योजनाओं के रूप में निर्धारण करने में स्त्री की इच्छा का महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है, पुरूषों के अनेक दोषों को दूर करने में स्त्रियाँ सक्रिय योगदान कर रही हैं। कुछ व्यक्ति परिवार में स्त्रियों के बढ़ते हुए अधिकारों से इतने चिन्तित हो उठे हैं कि उन्हें पारिवारिक जीवन के विघटित हो जाने का भय हो गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि उनकी चिन्ता तो स्वयं स्त्रियों को उनके पारिवारिक अधिकार देने के पक्ष में है और किसी कारण उन्हें इन अधिकारों से वंचित रखा भी गया, तब आने वाले समय में वे इन्हें अपनी शक्ति से स्वयं की प्राप्त कर लेंगी।

4. राजनैतिक चेतना में वृद्धि– राजनैतिक क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति जितनी गति से ऊँची उठ रही है, वह वास्तव में एक आदर्श का विषय है। सन् 1937 के चुनाव में स्त्रियों के लिए 41 सींटे सुरक्षित होने पर भी केवल 10 स्त्रियों ही चुनाव के लिए सामने आयी थीं, जबकि सन् 1957 के चुनाव तक स्त्रियों की राजनैतिक जागरूकता इतनी बढ़ गयी, कि केवल विधानसभाओं के लिए ही 342 स्त्रियाँ चुनाव के लिए खड़ी हुई, जिनमें से 195 निर्वाचित हो गयीं। पिछले 1967 के चुनाव में लोकसभा के लिए 31 स्त्रियों ने चुनाव जीता। राज्यसभा में भी स्त्री सदस्यों की संख्या आज 24 है। पिछले सत्र में श्रीमती सुचेता कृपलानी का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना संसार के लिए एक आश्चर्य की बात थी और 1967 में जब श्रीमति इन्दिरा गाँधी भारत की प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई, तब पश्चिम के तथाकथित सभ्य समाजों में स्त्रियाँ जैसे हतप्रभ हो गयीं। उन्हें पहली बार यह महसूस हुआ कि उनकी राजनैतिक जागरूकता अभी बहुत पीछे है। आज राज्यसभा में उपसभापति के पद पर श्रीमती वायलेट आल्वा व श्रीमती नज़मा हेपतुल्ला का भी होना भी स्त्रियों की राजनीतिक जागरूकता का परिचायक है। पिछले चुनाव से यह प्रमाणित हो गया है कि स्त्रियों में भी स्वतंत्र रूप से अपने मत का उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

श्री पणिक्कर के अनुसार –"जब स्वतंत्रता ने पहली अँगड़ाई ली तब भारत के राजनैतिक जीवन में स्त्रियों को जो पद प्राप्त हुआ, उसे देखकर बाहरी दुनिया चौंक पड़ी, क्योंकि वह तो हिन्दू स्त्रियों को पिछड़ी हुई, अशिक्षित और प्रतिक्रियावादी सामाजिक व्यवस्था में जकड़ी हुई समझने की अभ्यस्त थी। स्त्रियों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का पूर्ण सदुपयोग करके मध्यकाल की रूढ़ियों को समाप्त करने तथा स्त्रियों को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रशंसनीय कार्य किये हैं।"[3]

5. सामाजिक जागरूकता– आज स्त्रियों में काफी सामाजिक जागरूकता आ चुकी है, अब वे पर्दे में सिमटी हुई अपने आपको घर की चारदीवारी में बन्द नहीं रखतीं। आधुनिक शिक्षित स्त्रियों में जातीय नियमों के प्रति उदासीनता पाई जाती है। वे ऐसे प्रतिबिन्धों की अधिक चिन्ता नहीं करती। आजकल अन्तर्जातीय विवाह होने लगे हैं। प्रेम विवाहों और विलम्ब–विवाहों की संख्या भी बढ़ रही है। आज भारतीय महिलाएँ सामाजिक क्षेत्र में भी आगे आने लगी हैं। अब वे समाज कल्याण कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। महिला–मण्डलों का निर्माण और क्लबों की सदस्यता भी ग्रहण करती हैं। आजकल अनेक स्त्रियाँ रूढ़ियों के चंगुल से मुक्त हो चुकी हैं और स्वतंत्रत वातावरण में साँस ले रही है। श्री के0एम0 पन्निकर ने स्त्रियों की बदलती हुई, सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में लिखा है –

"भारत के लिए कुछ मेधावी स्त्रियों के द्वारा प्राप्त की गई उल्लेखनीय सफलता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जितना की वह परिवर्तन में जो ग्रामों, ग्रामीणों क्षेत्रों, वर्गों और जातियों में, जिन्हे आज तक रूढ़िवादी या पिछड़ा हुआ माना जाता था, में हुआ है। वहाँ प्रथा और रूढ़िवादिता द्वारा लादे गये सामाजिक बन्धनों से भी स्त्रियों को मुक्त किया जा चुका है।"4

डॉ0 एम0एन0 श्रीनिवास ने स्त्रियों की बदलती हुई स्थिति के लिए पश्चिमीकरणी लौकिकीरण एवं जातीय गतिशीलता के बढ़ते हुए प्रभाव को उतरदायी माना है।[5]

स्पष्ट है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। जब हम 19वीं शताब्दी की स्त्रियों की स्थिति पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि उस समय धर्म के नाम पर अनेक विधवाओं को जिन्दा चिता में जलकर भस्म होना पड़ता था, बहुत सी बालिकाओं को जन्म लेते ही गला घोंट कर मार दिया जाता था, पुरूष अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता था, किन्तु बाल–विवाह, पुनर्विवाह के अधिकार से वंचित रखा गया, वहाँ आज तो लोगों के दृष्टिकोण में काफी अन्तर आया है, लेकिन स्त्रियों ने विविध क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाते हुए प्रतिष्ठा प्राप्त की है। लेकिन स्त्रियों की स्थिति में होने वाले परिवर्तन अधिकांशतः नगरीय क्षेत्रों से सम्बन्धित है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन होने अभी शेष है, जैसे नागरीकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी और स्त्री शिक्षा का प्रसार होगा, वैसे–वैसे ग्रामीण स्त्रियों की स्थिति में भी अवश्यक परिवर्तन होगा।

ASVS Society Reg. No. 561/2013-14

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-6, Issues-7 YEAR- 2016 (Extra)

डॉ0 पन्निकर के अनुसार – स्त्रियों द्वारा हिन्दू जीवन के सिद्धान्तों का पुनर्परीक्षण आज हिन्दू आज के लिए सबसे बड़ी चुनैती है।[6]

डॉ० ए0एस0 अल्टेकर के अनुसार "हमें भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि समय बदल चुका है। तार्किक और समानता का युग आ चुका है। इसलिए हमें प्रस्तावित परिवर्तनों को लाते हुए नवीन परिस्थितियों के साथ स्त्रियों की स्थिति का समायोजन करना चाहिए।"[7]

स्पष्ट है कि समय के साथ–साथ विचारों, दृष्टिकोणों, व्यवहारों और क्रियाओं में परिवर्तन लाना समाज हित में आवश्यक होता है और हिन्दू समाज परिवर्तन की ओर अग्रसर है। प्रो0 कुप्पस्वामी के अनुसार –"कानूनी नियोग्यताओं को दूर होने और शिक्षा के क्षेत्र में, उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने के द्वारा एक स्वतंत्रत प्रजातंत्र में स्त्रियाँ अब अपना उचित स्थान ले रही है।"[8]

ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश स्त्रियाँ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में अभी भी पूरी तरह से भाग नहीं ले रही हैं, क्योंकि उन्हें शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है और पुराने सामाजिक मूल्य अभी भी प्रभावशाली बने हुए हैं, जो उन्हें विविध क्षेत्रों में भाग लेने से रोक रहे हैं।

अतः कहा जा सकता है कि स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रसार, समग्र रूप में जीवन को उन्नत करने में अपूर्व योगदान दे पायेगा।

वर्तमान काल– भारतीय नारी की वर्तमान स्थिति अनेक क्रियाओं व परिस्थितियों का परिणाम है। आज वर्तमान स्थिति में नारी पुरूष के कन्धें से कन्धा मिलाकर चल रही है, हर क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही है। वर्तमन समय में जिस पुरूष चिंतन का कार्यशीलता की क्षमता रखता है, नारी उससे अधिक कहीं संवेदनशीलता रखत है। नारी 18 घंटें प्रतिदिन काम करती है, कामकाजी महिला बाहर के कार्य करने के साथ घर की देखभाल, बच्चों की परवरिश भी बखूबी करती है। आज पुरूष को आर्थिक रूप से भी सहयेाग करती है किन्तु इतना सब कुछ करने के उपरान्त पुरूष को प्रताड़ना उसी को सहनी पड़ती है। आज स्त्री को पुरूषों की भाँति ही कानूनी दृष्टि से समानता प्राप्त हो चुकी है किन्तु कानूनी समानता मिलने के बाद भी स्त्रियों के प्रति न तो महिला अपराध में कोई कमी आयी है न उसके प्रति सामाजिक प्रतिबन्धों और प्रताड़नाओं में कोई कमी दर्ज हुई है। यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि जितना शोषण नारी का भारत में होता है, उतना संसार में कहीं नहीं होता है।

आज भी नारी विवाहोपरान्त ससुराल में प्रताड़ित की जाती है। दहेज पूर्ति हेतु तड़पा कर मार दी जाती है। कभी परिवार द्वारा तो कभी पति द्वारा कभी धर्म और परम्पराओं के नाम पर, कभी भाग्य के नाम पर उसे प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित करने के स्वरूप में इतना परिवर्तन तो अवश्य हुआ है कि पहले नारी को प्रत्यक्ष से परिवार प्रताड़ित करता था और आज अप्रत्यक्ष रूप से। दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, कुपोषण, असमानता, बलात्कार, अपहरण, अश्लील हरकते, छेड़छाड़ व अन्य पारिवारिक प्रताड़नायें नारी के लिए परम्परा ही बन चुके हैं। और मानसिक पीड़ को जीवन की साँसों के समान हमेशा उसके साथ रहती है। समय परिवर्तन के साथ महिला प्रगति तथा उन्नति सिक्के का एक सकारात्मक पहलू है, जबकि सिक्के का दूसरा पहलू नकारात्मक रूप में है क्योंकि जैसे–जैसे महिलाओं की उन्नति होती गई, उनकी प्रताड़नायें (उत्पीड़न) और बढ़ती गयीं क्योंकि पुरूषों को उन्नति के रूप में महिलओं को प्रताड़ित करने के और हथियार मिलते गये।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अथर्ववेद, 1.
2. पणिक्कर : द पोजीशन ऑफ वूमेन इन इण्डिया,
3. पृ०–78.
4. वही ।
5. डॉ0 एम0एन0 श्रीनिवासएगः डिजाइन्स ऑफ सोशल रिसर्च, पृ0–201.
6. वही ।
7. ए0 एस0 अल्तेकर : द पोजीशन ऑफ वूमेन इन इण्डिया।
8. प्रो० कुप्पु स्वामी : महिला प्रस्थिति पृ०–222.

*****

ASVS Society Reg. No. 561/2013-14